

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

रूपेश

बनाम

हरशतसिंह आदि

दावा बाबत :- 88 RTA Act

मुकदमा नम्बर :- 204/2021

निर्णय दिनांक :- 01-12-2021

वादी की ओर से वकील जयप्रकाश चौधरी की व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 की ओर से वकील जैरम मर्त की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

श्रीमती शकुन्तला चौधरी के खाला सं० 226/207 के खसरा सं० 684, 685, 695 कुल 19.000 हे. वासीनू रुमि भूमि में प्रतिवादी सं० हरशतसिंह के नाम से 2.346 हे. खालासरी रापसन रिकार्ड में प्रज. है। मैं से प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 का नाम कलभजन किया जाकर वादी रूपेश को खालासरी का रिकार्ड जोड़ दिया जाता है। मुझे प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 ने अपना सम्पूण हक व हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर भुर्ज कर लिया है। इस विषय में वादी रूपेश से हिस्से पर पंजीयन किया कर पत्र पंजीयन मुद्रक अर्थात् न. न. व यदि रुमि भूमि न. न. के रदन होता रदन मुद्रक होने से उभरता है रापसन रिकार्ड में अमल रजिस्ट्रार किया जावे रापसना का डिक्री का भाग प. 61 जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
(शिबिर प्रभारी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
प्र. गा. के संग अ. - 2021
झंडरा, जिला हनुमानगढ़